संख्या- 19/2024/001-269-24-1-2024-45-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुपूरक अनुदान अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 एवं वैट की भांति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1479/अधि0नि0/निधि-।।/आय-व्ययक/2022-23/436, दिनांक 08 फरवरी, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुपूरक अनुदान अन्तर्गत ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-06-30 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति एवं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 एवं वैट की भांति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान की प्रतिपूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 148,00,00,000/- (रूपये एक सौ अड़तालिस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को फर्मों को भुगतान करने के पूर्व उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 सम्बन्धित निगम द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि फर्म द्वारा क्लेम की जा रही लेबर सेस एवं अन्य करों की धनराशि फर्म द्वारा सम्बन्धित परियोजना के कार्यों के सम्बन्ध में वास्तविक रूप से जमा की गयी है।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिसका उपभोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक हो सके तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(5) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

(6) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42ऊ/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(8) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,48,00,00,000 (रुपये एक अरब अड़तालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051900600 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं, 12वीं एवं नवीन) तथा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एस.जी.एस.टी. एवं वैट की भांति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान की प्रतिपूर्ति मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-170-X-2023-24-दिनांक:15-3-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।

संख्या- 19/2024/001-269(1)-24-1-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 2110011
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 2110011
(3) कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग- 10 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।